

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर

क्रमांक : रसद/जो.11/शॉप/विज्ञप्ति/2025/राजकाज रेफ.

दिनांक:-28.07.2025

—:विज्ञप्ति:—

सावर्जनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यालय जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर की रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशानिर्देशों के तहत सशुल्क आवेदन-पत्र दिनांक 01.08.2025 से 25.08.2025 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर (जिला परिषद भवन), कलेक्टरेट परिसर, पावटा, जोधपुर से 100/- रूपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी रिक्तियों (नवसृजित सहित) का 30 प्रतिशत महिलाओं (बेरोजगार) का क्षेत्रीय आरक्षण/वरीयता रखा गया है। रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स	शहरी/ग्रामीण	नगरपालिका/तहसील	ग्राम पंचायत/वार्ड	स्थान	रिक्त/नवसृजित	आरक्षण स्थिति
1	ग्रामीण	बालेसर	जीयाबेरी	जीयाबेरी	रिक्त	महिला आरक्षित
2			खुडियाला	खुडियाला	रिक्त	अनारक्षित
3			देवनगर	केरलानगर	नवसृजित	अनारक्षित
4			गाजनावास	बासनी मनणा	नवसृजित	अनारक्षित
5		भोपालगढ़	बुड़किया	बुड़किया	रिक्त	अनारक्षित
6			बुड़किया	नांदिया प्रभावती	रिक्त	अनारक्षित
7			देवातड़ा	देवातड़ा	रिक्त	अनारक्षित
8			झालामलिया	झालामलिया	रिक्त	अनारक्षित
9			अरटिया खुर्द	अरटिया खुर्द	नवसृजित	अनारक्षित
10	शहरी	नगरपालिका बिलाड़ा	नगरपालिका बिलाड़ा पुराना वार्ड 1	नगरपालिका बिलाड़ा पुराना वार्ड 1	रिक्त	महिला आरक्षित
11			नगरपालिका बिलाड़ा पुराना वार्ड 6	न.पा. बिलाड़ा पुराना वार्ड 6	रिक्त	महिला आरक्षित
12			नगरपालिका बिलाड़ा पुराना वार्ड 18	न.पा. बिलाड़ा पुराना वार्ड 18	रिक्त	अनारक्षित
13	ग्रामीण	बिलाड़ा	पटेल नगर	पटेल नगर	रिक्त	अनारक्षित
14			बाला	बाला	रिक्त	महिला आरक्षित
15		औसिया	समराथल नगर	समराथल नगर	नवसृजित	महिला आरक्षित
16			खाबड़ा कलां	खाबड़ा कलां	नवसृजित	महिला आरक्षित



क्र.स	शहरी/ग्रामीण	नगरपालिका/तहसील	ग्राम पंचायत/वार्ड	स्थान	रिक्त/नवसृजित	आरक्षण स्थिति
17	ग्रामीण	तिंवरी	संतोड़ा खुर्द	संतोड़ा खुर्द	रिक्त	अनारक्षित
18			जसनाथबाड़ी	जसनाथबाड़ी	नवसृजित	अनारक्षित
19			महादेवनगर	महादेवनगर	नवसृजित	अनारक्षित
20	शहरी	नगरपालिका पीपाड़ शहर	नगरपालिका पीपाड़ शहर पुराना वार्ड 6	नगरपालिका पीपाड़ शहर पुराना वार्ड 6	रिक्त	अनारक्षित
21	ग्रामीण	पीपाड़ शहर	साथिन	साथिन प्रथम	रिक्त	महिला आरक्षित
22			साथिन	साथिन द्वितीय	रिक्त	अनारक्षित
23			जालीवाड़ा कलां	जालीवाड़ा कलां	रिक्त	अनारक्षित
24			खारिया खंगार	खारिया खंगार	रिक्त	अनारक्षित
25			देवनगर	देवनगर	रिक्त	अनारक्षित
26			सिंधिपुरा	सिंधिपुरा	रिक्त	महिला आरक्षित
27		शेरगढ़	सियांदा	सियांदा	रिक्त	अनारक्षित
28			जाटी भाण्डू	जाटी भाण्डू	रिक्त	अनारक्षित
29			चाबा	चाबा	रिक्त	अनारक्षित
30			सोईन्तरा	अमरपुरा	नवसृजित	अनारक्षित
31			देवराजगढ़	हिम्मतनगर	नवसृजित	अनारक्षित
32		सेखाला	गड़ा	अभयगढ़	रिक्त	महिला आरक्षित
33			रायसर	रायसर	रिक्त	महिला आरक्षित

आवेदन पत्र आवेदनकर्ता स्वयं द्वारा इसी कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 26.08.2025 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे। निर्धारित तिथी पश्चात किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपर्युक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा तथा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में समय समय पर जारी दिशानिर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 व 25.11.2020 के दिशा निर्देश तथा रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय द्वितीय, जोधपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/निरस्त एवं स्थान परिवर्तन या संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति एवं संशोधन का अंतिम निर्णय जिला कलक्टर (रसद) का होगा।

(अश्विनी गुर्जर)
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)
जोधपुर

प्रतिलिपी: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव प्रथम/द्वितीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति खाद्य विभाग की वेबसाइट www.food.raj.nic.in पर अपलोड कराने बाबत।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर।
6. माननीय सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र जोधपुर/पाली।
7. माननीय विधायक महोदय, शेरगढ़/औसिया/भोपालगढ़/बिलाड़ा
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन करावें।
9. ए.सी.पी. सूचना एवं तकनीकी विभाग, जोधपुर को उक्त आदेश जोधपुर जिले की वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
10. उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर/शेरगढ़/औसिया/बालेसर/भोपालगढ़/ बिलाड़ा
11. विकास अधिकारी औसिया/तिंवरी/बालेसर/शेरगढ़/सेखाला/बिलाड़ा/पीपाड़ शहर/ भोपालगढ़/चामू
12. अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका बिलाड़ा/पीपाड़ शहर
13. प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जोधपुर।
14. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)
जोधपुर